

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर
क्रमांक : राजहैल्थ/टी0सी0/2024/273

दिनांक 29/05/24

आदेश

श्रीमती चन्द्रावती शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकेत (जोन-कोटा) के विरुद्ध एक अखबार में प्रकाशित समाचार "अस्पताल में भर्ती दो नवजात ने दम तोड़ा" के प्रकरण में विभागीय जांच प्रस्तावित है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती चन्द्रावती शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकेत को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करते हैं।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर में होगा तथा इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

दिनांक 29/05/24

क्रमांक : राजहैल्थ/टी0सी0/2024/273

प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज0 जयपुर
4. निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय को ई-फाईल Joint Loose-01088 के संदर्भ में
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं कोटा जोन
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा
7. सम्बन्धित बीसीएमओ/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
8. सम्बन्धित निलम्बित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रशासनिक अधिकारी
9. आदेश/रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref
7624006



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma

Designation: Director

Date: 2024.05.29 13:28:36 IST

Reason: Approved